न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

स्व अपील सं0 231 /2026 अनवान हीराराम व अन्य बनाम भोजाराम वगैरा

दिनांक 15. .04.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाड़मेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 333/2025 बअनवान भोजाराम बनाम हीराराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 –प्रार्थी–भोजाराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील चौहटन स्थित ग्राम किफायत नगर के ख.नं. 319/9 रकबा 8.0128 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–हीराराम व अन्य ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री मोहनलाल खत्री एवं रेस्पो0सं0 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम किफायत नगर स्थित वादग्रस्त खसरान के पडौसी ख0नं0 317/9, 617/10 एवं 318/9 के सह–खातेदार है। अपीलार्थीगण की ओर से तहसीलदार चौहटन के समक्ष वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान के समय आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिसका निस्तारण नही किया गया, इसका उल्लेख फर्द सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 29.06.25 में अंकित है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की सह–खातेदारी भूमि में लगभग 10–12 बीघा अन्दर घुसकर नेखमबंदी करवाने को आमदा है। जबकि ऐसे प्रकरणों में खातेदार नियमित वाद द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पूरी करवा सकता है। आलौच्य प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 29.01.26 के नोटिस अपीलांट्स को प्राप्त नही हुए और न ही नोटिस तामिली की रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत हुई। अपीलांट्स–विप्रार्थी को दिनांक 24.12.25 को जारी नोटिस दिनांक 27.01.25 को पोस्ट किये गये। जिसे अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहली तारीख पेशी पर ही संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट तलब किए बिना व प्रार्थी व विप्रार्थी के खेतों की मध्य सीमा तय किए बिना, रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के वादग्रस्त ख0नं0 319/9 की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश पारित कर दिया गया। जिससे अपीलांट्स को सुनवाई

व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मध्य सीमामाठ नही होने का झुठा तथ्य अंकित किया गया, जबकि दोनो पक्षों के खेतों मध्य आपसी बंटवाडा से स्थापित बाड़–मांठ कायम चली आ रही है। उक्त कार्यवाही मात्र अपीलांट्स को क्षति पहुंचाने की नियत से की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 2–तहसीलदार चौहटन की रिपोर्ट के बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इसके अलावा विप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29.01.26 के नोटिस दिनांक 27.01.26 को पोस्ट किए गये है, जबकि अपीलांट्स का अभिकथन है कि उक्त नोटिस उसे प्राप्त नही होने से जवाब एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। चूंकि अपीलांट्स–विप्रार्थी सं0 1 वगैरा हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाड़मेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 333/2025 बअनवान भोजाराम बनाम हीराराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 15-4-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

15/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर